न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

CNR No.–UPLP 1200 1606 2026
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–87/2026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–106/2026
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

रहीस खां
बनाम
कासिफ आदि

दिनांकः 03.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 29.05.2026 अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी को जरिए विद्वान अधिवक्ता पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं उसी के मोहल्ला कासिफ, तारिख व सारिक पुत्रगण हासिम खां से पुरानी रंजिश चली आ रही है। विपक्षीगण काफी हेकड़, सरकस व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं और वे अपना अवैध आतंक कायम किए हुए हैं। घटना दिनांक 17.05.2026 को उपरोक्त तीनों लोगों ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी को पूर्व सभासद वसीम के मकान के पड़ोस में मां–बहन की गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए घेरा। प्रार्थी किसी तरह भागकर उक्त पूर्व सभासद के मकान में छिपकर जान बचाई, काफी समय तक छिपे रहने के बाद जब वे लोग प्रार्थी को नहीं पा सके तब उपरोक्त तीनों विपक्षीगण ने तमंचे लेकर प्रार्थी के मकान में जबरदस्ती घुसकर गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए तोड़–फोड़ की और यह धमकी देकर चले गये कि प्रार्थी जहां कहीं भी मिलेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। विपक्षीगण के कृत्य एवं धमकी के कारण प्रार्थी भयभीत एवं असुरक्षित है और विपक्षीगण किसी भी समय हत्या आदि जैसे गम्भीर अपराध कर सकते हैं। उक्त घटना की शिकायत थाना पसगवां पर की, कार्यवाही न होने पर दिनांक 19.05.2026 को पुलिस उपाधीक्षक, मोहम्मदी को प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 21.05.2026 को पुलिस अधीक्षक, खीरी को भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, परन्तु कहीं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, विपक्षी द्वारा असलहा लिये हुए छत पर खड़े की फोटो एवं डाक रसीद प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना पसगवां की आख्या दिनांकित 04.06.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है, उन समस्त तथ्यों से प्रार्थी भली–भांति परिचित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की जांच न्यायालय द्वारा स्वयं की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त मामले की धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत विवेचना कराई जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (57) ए०सी०सी० 739** एवं **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2001 (43) ए०सी०सी० पेज 50** में दिए गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस०, परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली दिनांक–24.08.2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांकः 03.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।